

शहरी क्षेत्रों में एकल दुकानें, कालोनी के अन्दर की दुकाने
और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों को खोलने
हेतु स्वघोषणा पत्र

- 1- दुकान का नाम.....
.....
- 2- दुकान का पूर्ण पता.....
.....
- 3- सम्बन्धित थाने का नाम.....
- 4- दुकान के प्रोपराइटर का नाम
- 5- प्रोपराइटर का मोबाइल नं0.....
- 6- प्रोपराइटर की ई-मेल आईडी0.....
- 7-दुकान में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या
- 8- दुकान में कार्य हेतु बुलाये जा रहे श्रमिकों की संख्या (कुल श्रमिकों का अधिकतम 33 प्रतिशत तक)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा स्वघोषणा पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेरी दुकान शहरी क्षेत्र/कालोनी/आवासीय परिसर के अन्दर एकल दुकान है। मेरी दुकान किसी मॉल या कॉम्प्लेक्स में स्थित नहीं है। मेरे द्वारा सरकार तथा प्रशासन के द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु दिये गये सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

दुकान के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर

नोट- श्रमिकों को किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है। प्रोपराइटर द्वारा जारी की गयी ऑफिस आईडी0/आधार कार्ड रखना अनिवार्य है।

भरा हुआ फार्म ई-मेल **addllcupgz@gmail.com** पर ही भेजे। अनुमति की आवश्यकता नहीं है।